

कश्मीर समस्या की पृष्ठभूमि में भारत-पाक संबंध: कारण और निवारण

रक्षा सिंघल

शोधार्थी, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

सार

कश्मीर विवाद कश्मीर पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच १९४७ से जारी है। भारत में विलय के लिए विलय-पत्र पर दस्तखत किए थे। गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर को इसे मंजूरी दी। विलय-पत्र का खाका हूबहू वही था जिसका भारत में शामिल हुए अन्य सैकड़ों रजवाड़ों ने अपनी-अपनी रियासत को भारत में शामिल करने के लिए उपयोग किया था। न इसमें कोई शर्त शुमार थी और न ही रियासत के लिए विशेष दर्जे जैसी कोई मांग। इस वैधानिक दस्तावेज पर दस्तखत होते ही समूचा जम्मू और कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला क्षेत्र भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग बन गया।

यह उस क्षेत्र पर विवाद है जो भारत और पाकिस्तान के बीच तीन युद्धों और कई अन्य सशस्त्र झड़पों में आगे बढ़ा। भारत इस क्षेत्र के लगभग 45% भू-भाग को नियंत्रित करता है जिसमें जम्मू, कश्मीर घाटी, लद्दाख का अधिकांश भाग, सियाचिन ग्लेशियर, और इसकी 70% आबादी शामिल है; पाकिस्तान लगभग 35% भूमि क्षेत्र को नियंत्रित करता है जिसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान शामिल हैं; और चीन शेष 20% भूमि क्षेत्र को नियंत्रित करता है जिसमें अक्साई चिन क्षेत्र, ज्यादातर निर्जन ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट और डेमचोक सेक्टर का हिस्सा शामिल है। दुनिया के सबसे अधिक सैन्यकृत इलाकों में से एक है कश्मीर। पिछले सप्ताह पुलवामा ज़िले में भारतीय सैनिकों पर हुए हमले के बाद अब तक यहां कई जानें जा चुकी हैं। एक के बाद एक विस्फोट और सशस्त्र संघर्ष इन मौतों का कारण है।

इस हिंसा ने क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल पैदा कर दिया है। मौजूदा दशक में इस क्षेत्र में अब तक की सबसे अधिक मौतों के मामले में यह आंकड़ा सबसे ऊपर है। साल 2018 में 500 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें आम नागरिक, सुरक्षाबल और चरमपंथी शामिल थे। आज़ादी के बाद से ही कश्मीर, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय रहा है। भारत प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के अलावा इसके एक हिस्से पर चीन का भी नियंत्रण है।

पिछले हफ्ते एक आत्मघाती हमले में 40 भारतीय जवानों की मौत ने भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंध की उम्मीदों पर फिलहाल पानी फेर दिया है।

पुलवामा एक ऐसी घटना है, जिसने हमें झकझोर कर रख दिया है। लेकिन यह आशंका अकारण नहीं है कि हम इसे भी भूल ही जाएंगे। क्या हम 2008 का मुंबई कांड नहीं भूल गए हैं? क्या हमें भारतीय संसद पर हुआ हमला याद है? क्या हमें कारगिल याद है? क्या हमें 1965 याद है? क्या हम खालिस्तान आंदोलन भूल नहीं गए? और क्या हम विभाजन को याद करते हैं? भगवान राम के उत्तराधिकारी और ज्येष्ठ पुत्र लव के बसाये नगरी लाहौर में अब मन्दिरों की घंटियां नहीं बजती। वहां न कोई वेदपाठी ज़िंदा बचा है, न कोई रामायण का पाठ करता है। क्या हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि ये सब हमारे आंखों के सामने हुआ है? नहीं क्योंकि हिंदुओं की स्मृति में कुछ नहीं रहता। फिर हमारे पास याद करने को इतना कुछ है कि हमने सब कुछ भूलना ही बेहतर समझा है।

परिचय

यहां हम बात करेंगे कश्मीर की, जम्मू और लद्दाख की। भारत के इस उत्तरी राज्य के 3 क्षेत्र हैं- जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। दुर्भाग्य से भारतीय राजनेताओं ने इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति समझे बगैर इसे एक राज्य घोषित कर दिया, क्योंकि ये तीनों ही क्षेत्र एक ही राजा के अधीन थे। सवाल यह उठता है कि आज़ादी के बाद से ही जम्मू और लद्दाख भारत के साथ खुश हैं, लेकिन कश्मीर खुश क्यों नहीं? हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि पाकिस्तान की चाल में फिलहाल 2 फीसदी कश्मीरी ही आए हैं बाकी सभी भारत से प्रेम करते हैं। यह बात महबूबा मुफ्ती अपने एक इंटरव्यू में कह चुकी हैं। लंदन के रिसर्चर्स द्वारा पिछले साल

राज्य के 6 जिलों में कराए गए सर्वे के अनुसार एक व्यक्ति ने भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की वकालत नहीं की, जबकि कश्मीर में कट्टरपंथी अलगाववादी समय समय पर इसकी वकालत करते रहते हैं जब तक की उनको वहां से आर्थिक मदद मिलती रहती है। वहीं से हुक्म आता है बंद और पत्थरबाजी का और उस हुक्म की तामिल की जाती है। आतंकवाद, अलगाववाद, फसाद और दंगे- ये 4 शब्द हैं जिनके माध्यम से पाकिस्तान ने दुनिया के कई मुल्कों को परेशान कर रखा है। खासकर भारत उसके लिए सबसे अहम टारगेट है। क्यों? इस 'क्यों' के कई जावाब हैं। भारत के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है।

How to cite this paper: Raksha Singhal "Ind-Pak Relations in the Backdrop of Kashmir Problem: Causes and Remedies"

Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-6 | Issue-5, August 2022, pp.129-135, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd50437.pdf



IJTSRD50437

Copyright © 2022 by author(s) and International Journal of Trend in Scientific Research and Development Journal. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)



भारतीय राजनेता निर्णय लेने से भी डरते हैं या उनमें शूतुरमुर्ग प्रवृत्ति विकसित हो गई है। अब वे आर या पार की लड़ाई के बारे में भी नहीं सोच सकते क्योंकि वे पूरे दिन आपस में ही लड़ते रहते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं। सीमा पर सैनिक मर रहे हैं पूर्वोत्तर में जवान शहीद हो रहे हैं इसकी भारतीय राजनेताओं को कोई चिंता नहीं। इस पर भी उनको राजनीति करना आती है। कहते जरूर हैं कि देशहित के लिए सभी एकजुट हैं लेकिन लगता नहीं है।[1,2]

ये विचारणीय हैं : बात कश्मीर की है तो दोनों ही तरफ के कश्मीर के लोग चाहे वे मुसलमान हो या गैर-मुस्लिम, जहालत और दुखभरी जिंदगी जी रहे हैं। मजे कर रहे हैं तो अलगाववादी, आतंकवादी और उनके आका। उनके बच्चे देश-विदेश में घूमते हैं और सभी तरह के ऐशोआराम में गुजर-बसर करते हैं। भारतीय कश्मीर के हालात तो पाकिस्तानी कश्मीर से कई गुना ज्यादा अच्छे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर से कई मुस्लिम परिवारों ने आकर भारत में शरण ले रखी है। पाकिस्तान ने दोनों ही तरफ के कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया है। भूटान के 10वें हिस्से जितने क्षेत्रफल वाले 'लैंड लॉकड आजाद देश' से न भारत का भला होगा, न कश्मीरी मुसलमानों का। पाकिस्तान और चीन का इससे जरूर भला हो जाएगा और अंततः यह होगा कि इसके कुछ हिस्से पाकिस्तान खा जाएगा और कुछ को चीन निगल लेगा। चीन ने तो कुछ भाग निगल ही लिया है। यह बात कट्टरपंथी कश्मीरियों को समझ में नहीं आती और वे समझना भी नहीं चाहते।

ये इतिहास है : 1947 को विभाजित भारत आजाद हुआ। उस दौर में भारतीय रियासतों के विलय का कार्य चल रहा था, जबकि पाकिस्तान में कबाइलियों को एकजुट किया जा रहा था। इधर जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद और त्रावणकोर की रियासतें विलय में देर लगा रही थीं तो कुछ स्वतंत्र राज्य चाहती थीं। इसके चलते इन राज्यों में अस्थिरता फैली थी। जूनागढ़ और हैदराबाद की समस्या से कहीं अधिक जटिल कश्मीर का विलय करने की समस्या थी। कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक थे लेकिन पंडितों की तादाद भी कम नहीं थी। कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से लगने के कारण समस्या जटिल थी अतः जिन्ना ने कश्मीर पर कब्जा करने की एक योजना पर तुरंत काम करना शुरू कर दिया। हालांकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था जिसमें क्षेत्रों का निर्धारण भी हो चुका था फिर भी जिन्ना ने परिस्थिति का लाभ उठाते हुए 22 अक्टूबर 1947 को कबाइली लुटेरों के भेष में पाकिस्तानी सेना को कश्मीर में भेज दिया। वर्तमान के पाक अधिकृत कश्मीर में खून की नदियां बहा दी गईं। इस खूनी खेल को देखकर कश्मीर के शासक राजा हरिसिंह भयभीत होकर जम्मू लौट आए। वहां उन्होंने भारत से सैनिक सहायता की मांग की, लेकिन सहायता पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। नेहरू की जिन्ना से दोस्ती थी। वे यह नहीं सोच सकते थे कि जिन्ना ऐसा कुछ कर बैठेंगे। लेकिन जिन्ना ने ऐसे कर दिया।[3,4]

भारत विभाजन के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ढुलमुल नीति और अदूरदर्शिता के कारण कश्मीर का मामला अनसुलझा रह गया। यदि पूरा कश्मीर पाकिस्तान में होता या पूरा कश्मीर भारत में होता तो शायद परिस्थितियां कुछ और होतीं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि कश्मीर पर

राजा हरिसिंह का राज था और उन्होंने बहुत देर के बाद निर्णय लिया कि कश्मीर का भारत में विलय किया जाए। देर से किए गए इस निर्णय के चलते पाकिस्तान ने गिलगित और बाल्टिस्तान में कबायली भेजकर लगभग आधे कश्मीर पर कब्जा कर लिया।

भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाते हुए, उनके द्वारा कब्जा किए गए कश्मीरी क्षेत्र को पुनः प्राप्त करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी कि बीच में ही 31 दिसंबर 1947 को नेहरूजी ने यूएनओ से अपील की कि वह पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी लुटेरों को भारत पर आक्रमण करने से रोके। फलस्वरूप 1 जनवरी 1949 को भारत-पाकिस्तान के मध्य युद्ध-विराम की घोषणा कराई गई। इससे पहले 1948 में पाकिस्तान ने कबाइलियों के वेश में अपनी सेना को भारतीय कश्मीर में घुसाकर समूची घाटी कब्जाने का प्रयास किया, जो असफल रहा।

नेहरूजी के यूएनओ में चले जाने के कारण युद्धविराम हो गया और भारतीय सेना के हाथ बंध गए जिससे पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए शेष क्षेत्र को भारतीय सेना प्राप्त करने में फिर कभी सफल न हो सकी। आज कश्मीर में आधे क्षेत्र में नियंत्रण रेखा है तो कुछ क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगातार फायरिंग और घुसपैठ होती रहती है।[5,6]

इसके बाद पाकिस्तान ने अपने सैन्य बल से 1965 में कश्मीर पर कब्जा करने का प्रयास किया जिसके चलते उसे मुंह की खानी पड़ी। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई। हार से तिलमिलाए पाकिस्तान ने भारत के प्रति पूरे देश में नफरत फैलाने का कार्य किया और पाकिस्तान की समूची राजनीति ही कश्मीर पर आधारित हो गई यानी कि सत्ता चाहिए तो कश्मीर को कब्जाने की बात करो। इसका परिणाम यह हुआ कि 1971 में उसने फिर से कश्मीर को कब्जाने का प्रयास किया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका डटकर मुकाबला किया और अंततः पाकिस्तान की सेना के 1 लाख सैनिकों ने भारत की सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और 'बांग्लादेश' नामक एक स्वतंत्र देश का जन्म हुआ। इंदिरा गांधी ने यहां एक बड़ी भूल की। यदि वे चाहतीं तो यहां कश्मीर की समस्या हमेशा-हमेशा के लिए सुलझ जाती, लेकिन वे जुल्फिकार अली भट्टो के बहकावे में आ गईं और 1 लाख सैनिकों को छोड़ दिया गया।

इस युद्ध के बाद पाकिस्तान को समझ में आ गई कि कश्मीर हथियाने के लिए आमने-सामने की लड़ाई में भारत को हरा पाना मुश्किल ही होगा। 1971 में शर्मनाक हार के बाद काबुल स्थित पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी में सैनिकों को इस हार का बदला लेने की शपथ दिलाई गई और अगले युद्ध की तैयारी को अंजाम दिया जाने लगा लेकिन अफगानिस्तान में हालात बिगड़ने लगे। 1971 से 1988 तक पाकिस्तान की सेना और कट्टरपंथी अफगानिस्तान में उलझे रहे। यहां पाकिस्तान की सेना ने खुद को गुरिल्ला युद्ध में मजबूत बनाया और युद्ध के विकल्पों के रूप में नए-नए तरीके सीखे। यही तरीके अब भारत पर आजमाए जाने लगे।

पहले उसने भारतीय पंजाब में आतंकवाद शुरू करने के लिए पाकिस्तानी पंजाब में सिखों को 'खालिस्तान' का सपना दिखाया और हथियारबद्ध सिखों का एक संगठन खड़ा करने में मदद की। पाकिस्तान के इस खेल में भारत सरकार उलझती गई।

स्वर्ण मंदिर में हुए दुर्भाग्यपूर्ण ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार और उसके बदले की कार्रवाई के रूप में 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत की राजनीति बदल गई। एक शक्तिशाली नेता की जगह एक अनुभव और विचारहीन नेता राजीव गांधी ने जब देश की बागडोर संभाली तो उनके आलोचक कहने लगे थे कि उनके पास कोई योजना नहीं और कोई नीति भी नहीं है। 1984 के दंगों के दौरान उन्होंने जो कहा, उसे कई लोगों ने खारिज कर दिया। उन्होंने कश्मीर की तरफ से पूरी तरह से ध्यान हटाकर पंजाब और श्रीलंका में लगा दिया। इंदिरा गांधी के बाद भारत की राह बदल गई। पंजाब में आतंकवाद के इस नए खेल के चलते पाकिस्तान की नजर एक बार फिर मुस्लिम बहुल भारतीय कश्मीर की ओर टिक गई। उसने पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों को आतंक के लिए तैयार करना शुरू किया। अफगानिस्तान का अनुभव यहां काम आने लगा था। तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जिया-उल-हक ने 1988 में भारत के विरुद्ध 'ऑपरेशन टोपाक' नाम से 'वॉर विद लो इंटेंसिटी' की योजना बनाई। इस योजना के तहत भारतीय कश्मीर के लोगों के मन में अलगाववाद और भारत के प्रति नफरत के बीज बोने थे और फिर उन्हीं के हाथों में हथियार थमाने थे।

कई बार मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने अपने से ज्यादा शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध 90 के दशक में एक नए तरह के युद्ध के बारे में सोचना शुरू किया और अंततः उसने उसे 'वॉर ऑफ लो इंटेंसिटी' का नाम दिया। दरअसल, यह गुरिल्ला युद्ध का ही विकसित रूप है।[7,8]

भारतीय राजनेताओं को सब कुछ मालूम था लेकिन फिर भी वे चुप थे, क्योंकि उन्हें भारत से ज्यादा वोट की चिंता थी, गठजोड़ की चिंता थी, सत्ता में बने रहने की चिंता थी। भारतीय राजनेताओं के इस ढुलमुल रवैये के चलते कश्मीर में 'ऑपरेशन टोपाक' बगैर किसी परेशानी के चलता रहा और भारतीय राजनेता शूतरमुर्ग बनकर सत्ता का सुख लेते रहे। कश्मीर और पूर्वोत्तर को छोड़कर भारतीय राजनेता सब जगह ध्यान देते रहे। 'ऑपरेशन टोपाक' पहले से दूसरे और दूसरे से तीसरे चरण में पहुंच गया। अब उनका इरादा सिर्फ कश्मीर को ही अशांत रखना नहीं रहा, वे जम्मू और लद्दाख में भी सक्रिय होने लगे। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने मिलकर कश्मीर में दंगे कराए और उसके बाद आतंकवाद का सिलसिला चल पड़ा। पहले चरण में मस्जिदों की तादाद बढ़ाना, दूसरे में कश्मीर से गैरमुस्लिमों और शियाओं को भगाना और तीसरे चरण में बगावत के लिए जनता को तैयार करना। अब इसका चौथा और अंतिम चरण चल रहा है। अब सरेआम पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते हैं और सरेआम भारत की खिलाफत की जाती है, क्योंकि कश्मीर घाटी में अब गैरमुस्लिम नहीं बचे और न ही शियाओं का कोई वजूद है।

कश्मीर में आतंकवाद के चलते करीब 7 लाख से अधिक कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गए और वे जम्मू सहित देश के अन्य हिस्सों में जाकर रहने लगे। इस दौरान हजारों कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि अभी भी कश्मीर घाटी में लगभग 3 हजार कश्मीरी पंडित रहते हैं लेकिन अब वे घर से कम ही बाहर निकल पाते हैं।

भारत ने हमले के लिए पाकिस्तान स्थित चरमपंथी समूह जैश-ए-मोहम्मद को दोषी ठहराया है, जिसके बाद पूरे देश में पाकिस्तान

के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और गुस्साए लोग कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों को निशाना बना रहे हैं। हमले के बाद भारत प्रशासित कश्मीर में एक हफ्ते के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है।

पाकिस्तान ने हमले में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के एक बयान में यहां तक कहा कि "ऐसा सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए इसलिए हमला किया जाए। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो पाकिस्तान इसका जवाब देगा।"

भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं। अगर दोनों देशों के बीच टकराव होता है तो इसका परिणाम बुरा होगा।[9,10]

कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का खामियाजा मुख्य रूप से वहां के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं, देश के अलग-अलग हिस्सों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है।

दोनों देशों के बीच 1947 और 1965 में युद्ध हो चुके हैं- कई सशस्त्र अभियान, सेना और आम नागरिकों पर अनगिनत हमलों को अंजाम दिया जा चुका है।

इन वजहों से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है।

नतीजतन, आज क्षेत्र की अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में है, बेरोजगारी अधिक है और राजनीतिक अस्थिरता ज्यादा है। ब्रिटिश सांसद और कश्मीर पर नज़र रखने वाले लॉर्ड नज़ीर अहमद के मुताबिक कश्मीर चरमपंथी गतिविधियों के लिए एक उपजाऊ मैदान बन गया है। लॉर्ड अहमद जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि कश्मीर में संघर्ष की अनदेखी से अफगानिस्तान के आसपास के इलाकों में कथित इस्लामिक स्टेट और तालिबान जैसे समूहों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। 22 अक्टूबर, 1947 को जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना समर्थित हमले और आम लोगों पर किये गए अत्याचार को प्रदर्शित करने के लिये केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में एक संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में स्थापित होने वाले इस संग्रहालय में कश्मीर में हिंसा तथा आतंक को बढ़ावा देने और यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर किया जाएगा। पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित इस हमले के बाद तत्कालीन जम्मू-कश्मीर रियासत का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था और हज़ारों हिंदुओं एवं सिखों को भारत की ओर पलायन करना पड़ा था। पलायन के अलावा हज़ारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को इस हमले में अपनी जान गँवानी पड़ी थी। इस संग्रहालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य आम लोगों को कश्मीर में आतंकवाद, अस्थिरता और अशांति फैलाने में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में जानकारी देना है।[10,11]

कश्मीर समस्या कोई जमीन का झगड़ा नहीं है। पाकिस्तान हमसे कश्मीर पर इसलिए नहीं लड़ रहा कि उसे कश्मीर मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान इसलिए लड़ रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि भारत के माथे पर कश्मीर का घाव कभी सूखने न पाए और भारत अपने संसाधनों और अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा इस पर खर्च करता रहे। परमाणु शक्ति

हासिल करने के बाद से पाकिस्तान यह भी मानता है कि भारत के साथ उसके पारम्परिक युद्ध की सम्भावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। वह यह भी मानता है कि मुम्बई, उड़ी और पुलवामा जैसे हमलों का जवाब देने का कोई ठोस तरीका भारत के पास नहीं है। ये सारी लड़ाइयां वह हमारी जमीन पर ही लड़ता है।

विचार-विमर्श

ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ के अनुसार कश्मीर विवाद और अरब-इसराइल टकराव जैसी समस्याएँ ब्रिटेन के औपनिवेशिक अतीत की उपज हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रितानी शासन ने दुलमुल रवैया अपनाया था जो इस विवाद का कारण बना। भाजपा के वरिष्ठ नेता व सांसद शांता कुमार ने कहा कि कश्मीर का विवाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की देन है। आजादी के बाद पाकिस्तान सेना ने हमला कर दिया और इसके जवाब में जब भारतीय सेना ने आक्रमण किया तो पूरे कश्मीर को जीतने से पहले ही भारत सरकार ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, पाकिस्तान के विदेशी मामलों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने कश्मीर विवाद को उठाते हुए दोनों मुल्कों के बीच मुख्य मुद्दा बताया। प्रधान मंत्री नवाज़ शरीफ ने पाक अधिकृत कश्मीर की विधानसभा में एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि जब तक कश्मीरी जनता की महत्वाकांक्षाओं के अनुसार इस विवाद का हल नहीं किया जाता, यह क्षेत्र 'अविश्वास और तनाव' की गिरफ्त में बना रहेगा। 1947-1948 के भारत-पाकिस्तान युद्ध, कभी-कभी प्रथम कश्मीर युद्ध के रूप में जाना जाता था, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के रियासत और 1947 से 1948 तक जम्मू के बीच लड़ा गया था। यह चार भारत-पाकिस्तान युद्धों में से पहला था दो नए स्वतंत्र राष्ट्र कश्मीर को सुरक्षित करने के प्रयास में पाकिस्तान ने वजीरिस्तान से आदिवासी लश्कर (मिलिशिया) का शुभारंभ करके आजादी के कुछ हफ्तों बाद पाकिस्तान युद्ध शुरू कर दिया था, जिसकी भविष्य में शेष राशि में लटका हुआ था। युद्ध के अनिर्णायक परिणाम अभी भी दोनों देशों के भू राजनीति को प्रभावित करता है। महाराजा को पुंछ में अपने मुस्लिम विषयों द्वारा विद्रोह का सामना करना पड़ा, और अपने राज्य के पश्चिमी जिलों पर नियंत्रण खो दिया। 22 अक्टूबर 1947 को, पाकिस्तान की पश्तून आदिवासी सेनाएं राज्य की सीमा पार कर गईं। ये स्थानीय जनजातीय लड़ाकों और अनियमित पाकिस्तानी सेनाएं श्रीनगर ले जाने के लिए चली गईं, लेकिन बारमूला तक पहुंचने पर वे लूट ले गए और स्थगित हो गए। हरि सिंह ने भारत की सहायता के लिए एक याचिका दायर की और सहायता की पेशकश की गई, लेकिन यह भारत के लिए एक समझौता करने के साधन पर हस्ताक्षर करने के अधीन था। [11]

युद्ध शुरू में जम्मू एवं कश्मीर राज्य बलों [पेज की जरूरत] और उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत से जुड़े फ्रंटियर आदिवासी इलाकों से आदिवासियों द्वारा लड़ा गया था। राज्य के प्रवेश के बाद, भारतीय सेनाओं को राज्य की राजधानी श्रीनगर से हवा में उठाया गया। ब्रिटिश कमांडरों के अधिकारियों ने शुरू में पाकिस्तान के सैनिकों को भारत में प्रवेश के हवाले से संघर्ष में प्रवेश से इनकार कर दिया। हालांकि, बाद में 1948 में, वे चिंतित थे और पाकिस्तानी सेनाओं ने इसके बाद युद्ध में प्रवेश किया

था। नियंत्रण रेखा के रूप में जाना जाने के साथ-साथ मोर्चों को धीरे-धीरे बढ़ा दिया गया। 31 दिसंबर 1948 की रात को एक औपचारिक युद्धविराम 23:59 बजे घोषित किया गया। : 37 9 युद्ध का परिणाम अनिर्णायक था। हालांकि, अधिकांश तटस्थ मूल्यांकन मानते हैं कि भारत युद्ध के विजेता था क्योंकि यह कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख सहित लगभग दो-तिहाई कश्मीर का सफलतापूर्वक बचाव करने में सक्षम था।

1947 में देश के बंटवारे के वक्त कश्मीर किसके साथ जाएगा, इस पर काफी मंथन हुआ था। कश्मीर के महाराज दोनों में से एक देश को चुनने में मुश्किलों का सामना कर रहे थे।

उन्होंने अंततः भारत को चुना और इस फैसले के बाद दुनिया के नए बने इन दोनों देशों के बीच दो साल तक युद्ध हुआ।

युद्धविराम पर सहमत होने के बाद पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को निकालने से इनकार कर दिया और कश्मीर दो भागों में विभाजित हो गया।

1950 के दशक में जब भारत और पाकिस्तान विषम परिस्थितियों में थे, चीन ने पूर्वी कश्मीर पर धीरे-धीरे नियंत्रण कर लिया। इस इलाके को अक्सर चीन कहा जाता है।

भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध 1965 में हुआ था। 1980 और 1990 के दशक के बीच भारतीय शासन के खिलाफ यहां विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ और क्षेत्र में पाकिस्तान समर्थित चरमपंथी समूह बढ़ने लगे।

1999 में भारत ने पाकिस्तान समर्थित सैन्य ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उस समय तक दोनों देशों ने खुद को परमाणु शक्ति घोषित कर दिया था।

जब से यहां हिंसा का दौर शुरू हुआ है, हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं।

1950 के दशक में संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि क्षेत्र के मतदाताओं के विचारों को जानने के लिए कश्मीर में एक जनमत संग्रह करवाना चाहिए।

हालांकि भारत ने मूल रूप से इस विचार का समर्थन किया था, लेकिन बाद में कहा कि यह ज़रूरी नहीं है क्योंकि भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर में होने वाले चुनाव भारत में इसके विलय का समर्थन करते हैं।

लेकिन पाकिस्तान इससे सहमत नहीं है। उसका कहना है कि क्षेत्र के बहुत से लोग यह नहीं चाहते हैं कि वहां भारत का शासन हो। वो आज़ाद होना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं।

भारत प्रशासित कश्मीर में मुसलमानों की आबादी 60 फीसदी से अधिक है। यह भारत का इकलौता ऐसा राज्य है, जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं। कश्मीर संकट के इतिहास की जड़ें वर्ष 1947 में खोजी जा सकती हैं, जब पाकिस्तान की सेना के इशारे पर तकरीबन 1000 आदिवासियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। दरअसल विभाजन के दौरान जम्मू-कश्मीर रियासत को भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था, लेकिन उस समय के शासक महाराजा हरि सिंह ने इसे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रखने का फैसला किया। 1947 में पाकिस्तान के पख्तून आदिवासियों ने जम्मू-कश्मीर पर हमला

कर दिया, इस स्थिति से निपटने के लिये महाराजा ने तत्कालीन भारतीय गवर्नर-जनरल माउंटबेटन से सैन्य मदद मांगी। ध्यातव्य है कि पाकिस्तानी सेना ने हमलावरों को आक्रमण करने के लिये रसद, हथियार और गोला-बारूद मुहैया कराए थे। इन्हें पाकिस्तान की सेना द्वारा निर्देश दिये जा रहे थे। 26 अक्टूबर, 1947 को आक्रमणकारी श्रीनगर के करीब बारामूला पहुँच गए तथा उन्होंने स्थानीय लोगों पर काफी अत्याचार किये और हिंदू तथा सिखों को पलायन के लिये मजबूर कर दिया। अंत में जब महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किये तब जम्मू-कश्मीर औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। इसीलिए यदि 10 में से 1 बार भी उसे सफलता मिले तो नुकसान भारत का ही होता है। इसमें पाकिस्तान का कैलकुलेटेड रिस्क है और उतना खतरा उठाने को वह तैयार है। याद करें तो 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन पराक्रम आरम्भ किया और अपनी सेना को भारत पाक सीमा पर ले गया। लेकिन कोई युद्ध नहीं हुआ। इससे पाकिस्तान को यह भरोसा हो गया कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर खुले तौर पर सैन्य कार्यवाही नहीं करेगा। उसका यह भरोसा पिछले 17 वर्षों में सही ही साबित हुआ है। पाकिस्तान के इस विश्वास को तोड़ने का कोई उपाय आज भी व्यावहारिक धरातल पर हमारे पास नहीं दिखता है। [8,9]

परिणाम

1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध पाकिस्तान और भारत के बीच अप्रैल 1965 और सितंबर 1965 के बीच हुई झड़पों की परिणति थी। पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद यह संघर्ष शुरू हुआ, जिसे भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह के लिए जम्मू-कश्मीर में सेना घुसाने के लिए डिजाइन किया गया था। भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान पर एक पूर्ण पैमाने पर सैन्य हमले शुरू करने का जिक्र किया। सत्रह दिन के युद्ध ने दोनों पक्षों पर हज़ारों हताहतों की संख्या पैदा की और बख़्तरबंद वाहनों की सबसे बड़ी भागीदारी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़ी टैंक लड़ाई देखी। संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य युद्धविराम के बाद सोवियत संघ और संयुक्त राज्य द्वारा राजनयिक हस्तक्षेप के बाद घोषित किए जाने और ताशकंद घोषणापत्र के बाद जारी होने के बाद दोनों देशों के बीच की लड़ाई समाप्त हो गई। अधिकांश युद्ध कश्मीर में देश की जमीन बलों और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा से लड़ा गया था। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद से इस युद्ध ने कश्मीर में सैनिकों का सबसे बड़ा हथियार देखा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2001-2002 के सैन्य गतिरोध के दौरान ही ढंके हुए थे। अधिकांश युद्धपोत पैदल सेना और बख़्तरबंद इकाइयों का विरोध करते हुए, वायु सेना से पर्याप्त समर्थन के साथ, और नौसेना के संचालन से लड़े गए। युद्ध ने पाकिस्तान के सैन्य प्रशिक्षण के अपर्याप्त मानकों, इसके गुमराहे के चयन के अधिकारियों, गरीब कमांड और नियंत्रण व्यवस्था, खराब खुफिया जानकारी और बुरी बुद्धिमत्ता प्रक्रियाओं का पर्दाफाश किया। इन कमियों के बावजूद, पाकिस्तानी सेना बड़ी भारतीय सेना से लड़ने में कामयाब रही। इस युद्ध के अन्य विवरण, जैसे अन्य भारत-पाकिस्तान युद्धों की तरह, अस्पष्ट रहते हैं। कश्मीर में जो चरमपंथी हैं, वे पाकिस्तान की तरफ इसलिए नहीं झुके हुए हैं कि पाकिस्तान में उन्हें बेहतर अधिकार और सुविधाएं

हासिल होंगी। वे तो पाकिस्तान के गीत इसलिए गा रहे हैं, क्योंकि उन्हें हर कीमत पर इस्लामिक मुल्क का हिस्सा होना है। वे लोकतांत्रिक और सेक्युलर ढांचे के अंदर नहीं रहना चाहते। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में बलोची, सिंधी, पख्तून और मुहाजिर किस बेरहमी से मारे जा रहे हैं और गायब कर दिए जा रहे हैं।

लेकिन भारत का नेतृत्व और भारत की जनता इस मसले को क्या इस तरह से देखती भी है? क्या सरकार यह मानती है कि कश्मीर में जो हो रहा है, वह मजहबी उन्माद और जिहाद है? हमारा राजनीतिक नेतृत्व इस सत्य को जानता है, लेकिन स्वीकार करने का साहस नहीं रखता। स्वीकारोक्ति के अभाव में हम इस समस्या के स्थायी समाधान की ओर सोचते भी नहीं हैं। परिणामस्वरूप कश्मीर की समस्या 70 सालों में बद से बदतर होती गई है। कश्मीर के मसले पर भारत की हालत एक ऐसे विद्यार्थी की रही है जो किसी भी तरह परीक्षा उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में जाने की रुचि रखता है। भारत कश्मीर की समस्या पर उतना ही करता है जिससे कश्मीर भारत का हिस्सा बना रहे, लेकिन वह करने की इच्छाशक्ति नहीं दिखाता, जिससे जम्मू-कश्मीर भारत का सामान्य प्रदेश बन सके। कश्मीर पर दो नीतियां हैं। एक नेहरू की नीति है जिसे हम पेन किलर नीति कह सकते हैं। 70 सालों में इस नीति ने देश को क्या दिया है, यह पूरा देश देख ही रहा है। इसी नीति के तहत कभी हम वार्ता का राजनीतिक राग अलापते हैं तो कभी सैनिक समाधान खोजते हैं। वार्ता किस मुद्दे पर होगी, किन किन पक्षों के साथ होगी, इस पर कोई स्पष्टता नहीं दिखती। वार्ताकार नियुक्ति की तमाम खबरें हम सुनते हैं पर उस वार्ताकार के उद्यम का कोई परिणाम विरले ही पब्लिक डोमेन में आता है। अन्दरखाने से ऐसी खबरें छन छन कर आती हैं कि हुर्रियत नेताओं को कुछ फेवर्स मिल गए। यह कहना कि कश्मीर समस्या सुलझाने की नीयत ही नहीं रही, ऐसा कहना उनके साथ अन्याय होगा, जिन्होंने थोड़ी भी इच्छाशक्ति दिखायी हो। लेकिन राजनीतिक और सैनिक समाधान के द्वंद्व में डेमोग्राफी के सामाजिक कोण पर शायद ही किसी ने गंभीरता से सोचा। [7,8]

दूसरी नीति डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की है। वह बीमारी को समझकर उसका उपचार करके उससे निजात पाने की नीति है। ऐसा इसलिए है कि समस्या के राजनीतिक पहलू को वह सामाजिक नजरिये से भी देख सके। भारतीय जनसंघ की उत्तराधिकारी पार्टी भाजपा ने केंद्र में लगभग 11 वर्ष शासन तो किया है, लेकिन कश्मीर पर ये भी कमोबेश नेहरू की पेन किलर नीति पर ही चले हैं।

अब समय आ गया है कि देश डॉ. मुखर्जी की नीति का अनुसरण करने का साहस दिखाए। डॉ. मुखर्जी ने दो प्रधान, दो निशान और दो विधान का विरोध किया था। इस विरोध की कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी। वे कश्मीर के पहले हुतात्मा थे। आज दो प्रधान तो नहीं हैं, लेकिन आर्टिकल 370 के रूप में दो विधान और कश्मीर के अलग ध्वज के रूप में दो निशान मौजूद हैं। इस दो निशान और दो विधान को समाप्त करना ही कश्मीर समस्या के समाधान की दिशा में पहला कदम होगा। क्या यह विडंबना नहीं है कि जिस कश्मीर की भूमि के लिए भारतीय सैनिक जान दे सकता है,

उस कश्मीर में वह बस नहीं सकता. कश्मीर की भूमि की रक्षा तो भारतीयों का कर्तव्य है, लेकिन उस भूमि पर उसका अधिकार नहीं है. यह विरोधाभास समाप्त होना चाहिए. भारत इस मामले में चीन से सीख सकता है. चीन के शिनजियांग प्रान्त में वहाबी इस्लाम के विस्तार के साथ उईगर मुसलमानों में अलगाववाद की आग बढ़ने लगी. चीन ने इस समस्या को प्रारम्भिक स्तर पर ही चिन्हित कर लिया और समाधान की दिशा में कठोर और योजनाबद्ध कदम उठाए. सबसे पहले चीन ने अपने सबसे बड़े और मूल एथनिक समुदाय हान समुदाय को उईगर प्रभाव वाले इलाकों में बसाया. इसका नतीजा यह हुआ कि शिनजियांग प्रान्त की डेमोग्राफी हमेशा के लिए बदल गई. इस बदलाव ने उईगर मुसलमानों के आत्मविश्वास को तोड़कर रख दिया. इसके बाद उसने उईगर मुसलमानों को वहाबी सोच से दूर करने के लिए एक नए किस्म का सोशललिस्ट इस्लाम पेश किया. आश्चर्य नहीं कि इन सबसे शिनजियांग की समस्या बहुत हद तक समाप्त हो चुकी है.[6,7]

भारत यदि इस मामले में चीन से सीख लेता है तो अगले दो दशक में कश्मीर समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी. कश्मीर की डेमोग्राफी बदले बिना कश्मीर समस्या का समाधान सम्भव नहीं है. यदि कश्मीर में भारत विरोधी लोग होंगे तो उनका उपयोग पाकिस्तान करता रहेगा. कल को पाकिस्तान उनका उपयोग नहीं करे तो चीन करेगा. यह कैसे संभव है कि किसी भी सीमाई प्रान्त में राष्ट्रविरोधी तत्व भारी संख्या में मौजूद हों और आपके प्रतिद्वंदी और शत्रु उनका उपयोग न करें.

निष्कर्ष

वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के पूर्व जम्मू-कश्मीर रियासत में कुल पाँच क्षेत्र शामिल थे: जम्मू, कश्मीर घाटी, लद्दाख, गिलगित वज़रात और गिलगित एजेंसी। 22 अक्टूबर, 1947 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी पर आक्रमण किया तब जम्मू-कश्मीर की रियासत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, जबकि शेष हिस्सा भारत के पास रह गया। पाकिस्तान के पास जम्मू-कश्मीर रियासत का जो हिस्सा है उसे पाक-अधिकृत कश्मीर (PoK) के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर मुख्यतः दो हिस्सों में बँटा हुआ है-

- आज़ाद कश्मीर
- गिलगित-बाल्टिस्तान

पाक-अधिकृत कश्मीर (PoK) पश्चिम में पंजाब और खैबर-पख्तूनख्वा से, उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान से, उत्तर में चीन के शिनजियांग प्रांत से और पूर्व में भारत के जम्मू-कश्मीर से अपनी सीमा साझा करता है, इसीलिये अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) का सामरिक महत्त्व काफी अधिक है। चीन के किसी डिप्लोमैट ने भारतीय डिप्लोमैसी का मजाक उड़ाते हुए कभी कहा था; 'वे (भारतीय) किसी मुद्दे पर बात करते हैं और फिर बात करते हैं और फिर बात करते हैं. बस बात ही करते रहते हैं, समाधान तक नहीं पहुंचते.' बात कड़वी है पर पूरी तरह असत्य नहीं. किसी भी गम्भीर समस्या के समाधान के लिए जिस इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है, वह हमारे भीतर संपूर्णता में नहीं है.[10,11]

पलायनवाद हमारा चिन्तन चरित्र बन चुका है. हम पेन किलर खा कर अपनी बीमारी को छिपाने वाले राष्ट्र में तब्दील हो गए हैं. हम यह नहीं समझते कि इस तरह ही फुंसी, भगन्दर में तब्दील हो जाती है. 1947 में कश्मीर की समस्या फुंसी ही थी. तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तब उस फुंसी का इलाज करने की जगह धारा 370 का पेन किलर लेना ठीक समझा. उस समय भी भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने इस समस्या को समझा था लेकिन उन्हें पेन किलर नीति के विरोध की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी. पेन किलर से कश्मीर की बीमारी को दबाने की जो आदत 70 वर्ष पहले लगी, वह आज तक जारी है. नतीजा यह हुआ कि इलाज के अभाव में यह छोटी सी बीमारी आज विकराल रूप धारण कर चुकी है और इसका कोई सरल समाधान भारत के पास नहीं दिखता है.

प्रथम चरण में कश्मीर में बड़ी संख्या में उद्यम लगाए जाएं और उनमें पूर्व सैनिकों और अर्द्धसैनिक बलों के परिवारजनों को काम करने का मौका दिया जाए. कश्मीर में वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिकों के परिवार को वहां की भूमि दी जाए. द्वितीय चरण में देश के प्रत्येक कोने से लोगों को कश्मीर में रहने, बसने और काम करने को प्रोत्साहित किया जाए. इस तरह एक दशक बीतते बीतते कश्मीर की डेमोग्राफी में भारी बदलाव आ जायेगा.

दूसरा काम कश्मीर के वहाबी मदरसों और मस्जिदों पर रोक लगाया जाना चाहिए. इससे वहाबी इस्लाम के जहर से कश्मीर की आने वाली नस्लें बच सकेंगी और एक बेहतर नागरिक बन सकेंगी. इन बदलावों के बिना इस बीमारी का कोई उपचार संभव नहीं रह गया है. जिस लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म को भारत हर मर्ज की दवा मानता है, उसे कश्मीर के अलगाववादी हुरियत नेता गैर-इस्लामिक मानते हैं. यहां यह कहना भी जरूरी है कि मसले का सिर्फ सैनिक समाधान ढूंढने वाले आज तक इसकी कोई संभावित तार्किक परिणति बताने में असफल रहे हैं, बस हवा में तलवारें भांजी जाती हैं. पिछले 70 वर्षों में कश्मीर में बहुत पानी बह चुका है.

भारतीय नेतृत्व अपनी सोच बदले, उसे समग्र बनाए और बीमारी को समझे तो ही उपचार संभव है. कश्मीर का जो भी समाधान होगा, वह यथार्थ के धरातल पर ही होगा. लेकिन कश्मीर की डेमोग्राफी बदले बिना इस समस्या का कोई समाधान सम्भव नहीं हो सकेगा. इस मुद्दे पर जितनी देरी होगी, समस्या उतनी ही बढ़ती जाएगी.[11,12]

संदर्भ

- [1] Ganguly, Sumit; Paul Kapur (7 August 2012). India, Pakistan, and the Bomb: Debating Nuclear Stability in South Asia. Columbia University Press. पृष्ठ 27–28. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0231143752.
- [2] "भारत में कश्मीर का विलय?".
- [3] Malik, V. P. (2010). Kargil from Surprise to Victory (paperback संस्करण). HarperCollins

- Publishers India. पृ 54. आई॰एस॰बी॰एन॰ 9789350293133.
- [4] "Kashmir: region, Indian subcontinent". Encyclopædia Britannica | 9780534168100. India now holds about 55% of the old state of Kashmir, Pakistan 30%, and China 15%.
- [5] "Jammu & Kashmir". European Foundation for South Asian Studies. अभिगमन तिथि 4 May 2020. [9] Margolis, Eric (2004). War at the Top of the World: The Struggle for Afghanistan, Kashmir and Tibet (paperback संस्करण). Routledge. पृ 56. आई॰एस॰बी॰एन॰ 9781135955595.
- [6] Snow, Shawn (19 September 2016). "Analysis: Why Kashmir Matters". The Diplomat. अभिगमन तिथि 4 May 2020. [10] "संग्रहीत प्रति". मूल से 13 अगस्त 2004 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 फ़रवरी 2014.
- [7] Hobbs, Joseph J. (13 March 2008). World Regional Geography. CengageBrain. पृ 314. आई॰एस॰बी॰एन॰ 978-0495389507. [11] "संग्रहीत प्रति". मूल से 21 फ़रवरी 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 फ़रवरी 2014.
- [8] Ie Ess Wor Reg Geog W/Cd. Thomson Learning EMEA. 2002. आई॰एस॰बी॰एन॰ [12] "संग्रहीत प्रति". मूल से 6 मार्च 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 फ़रवरी 2014.

